



सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी-221002

संस्थागत आनलाईन परीक्षावेदनपत्र भरने हेतु महाविद्यालयों/अभ्यर्थियों के लिए
आवश्यक-निर्देश

1. निम्नलिखित निर्देशों तथा विश्वविद्यालय की निदर्शिका के नियमों का अनुपालन अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन-पत्र निरस्त हो जायेगा।
2. सभी प्रविष्टियों को भरा जाना अनिवार्य है।
3. आनलाईन परीक्षावेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद परीक्षावेदन पत्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर नहीं खुलेगा।
4. महाविद्यालय/परीक्षार्थी अन्तिम तिथि के पूर्व ही अपना परीक्षावेदन-पत्र भरा जाना सुनिश्चित करें।
5. परीक्षार्थी अपने नाम, माता नाम, पिता नाम तथा जन्म तिथि को पूर्वमध्यमा/हाईस्कूल/समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र के अनुसार ही अंकित करें। महाविद्यालय द्वारा इसका अनुपालन सुनिश्चित कराया जाना अनिवार्य है।
6. माता नाम तथा पिता नाम के पूर्व श्री/श्रीमती अथवा अन्य कोई शब्द अंकित न करें। मात्र पूर्वमध्यमा/हाईस्कूल/समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र के अनुसार वास्तविक नाम ही प्रविष्ट करें।
7. परीक्षार्थी का रंगीन पासपोर्ट आकार का स्कैन किया गया छायाचित्र (Photograph) JPEG / JPG File Format में, जो 50 KB या इससे कम क्षमता का हो, को अपलोड करना है।
8. परीक्षार्थी का स्कैन किया गया हस्ताक्षर JPEG / JPG File Format में, जो 20 KB या इससे कम क्षमता का हो, को अपलोड करना है।
9. परीक्षावेदन-पत्र भरते समय Submit/सुरक्षित करने के पश्चात स्क्रीन (Screen) पर दिये गये नियंत्रण संख्या (Control number) को कहीं अंकित कर भविष्य के लिए सुरक्षित कर लें।
10. परीक्षावेदन भरते समय किसी प्रकार की त्रुटि हो जाने पर महाविद्यालय स्तर पर ही निर्धारित अवधि में इसका सुधार सम्भव है।
11. राज्य, जिला, महाविद्यालय नाम एवं विषय के चयन/प्रविष्टि में विशेष सावधानी बरतें।
12. विषयों का चयन, विश्वविद्यालय की निदर्शिका के अर्हता नियमों तथा महाविद्यालय की विषय मान्यता के अनुसार ही करना अनिवार्य है।
13. परीक्षा शुल्क ई-चालान के माध्यम से इलाहाबाद बैंक के किसी भी शाखा में जमा किया जाएगा।
14. संस्थागत परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए ई-चालान निम्नलिखित प्रकार के होंगे जिनको चुनने का विकल्प महाविद्यालय अपने Login से प्राप्त कर सकेगा।
 - (क) संस्थागत – शास्त्री एवं आचार्य परीक्षा
 - (ख) संस्थागत – प्रथमा, पूर्वमध्यमा एवं उत्तरमध्यमा परीक्षा
 - (ग) संस्थागत – सभी कक्षाओं के बैक/श्रेणी सुधार परीक्षा

15. संस्थागत परीक्षार्थियों का परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए, महाविद्यालय द्वारा अपने Login तथा Password के माध्यम से ई-चालान विकल्प द्वारा ई-चालान का निर्माण करके 24 घण्टे बाद इलाहाबाद बैंक के किसी भी शाखा में परीक्षा शुल्क जमा किया जाएगा।
 16. परीक्षा शुल्क जमा करने के 24 घण्टे बाद महाविद्यालय अपने Login के द्वारा ई-चालान में अंकित Transaction ID को अपडेट करते हुए चालान में वर्णित छात्र संख्या एवं तदनुसार जमा किये शुल्क के सापेक्ष उपलब्ध परीक्षावेदनपत्रों को भरवा सकेगा।
 17. परीक्षावेदनपत्रों को भरने एवं प्रविष्टियों के सुधार के अंतिम तिथि के बाद महाविद्यालय अपने Login के माध्यम से परीक्षार्थियों की नामावली को मुद्रित कर सकेगा।
 18. ई-चालान की तीन प्रतियां होगी। एक प्रति बैंक अपने पास सुरक्षित रखेगा तथा दूसरी महाविद्यालय प्रति महाविद्यालय अपने पास सुरक्षित रखेगा। विश्वविद्यालय प्रति को मुद्रित परीक्षावेदनपत्रों एवं नामावली के साथ निर्धारित तिथि के अन्तर्गत विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
 19. परीक्षावेदनपत्रों को अर्हता परीक्षा प्रमाण पत्रों/अंकपत्रों की सत्यापित छायाप्रतियों, पूर्वमध्यमा/हाईस्कूल/समकक्ष प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति एवं छात्र-नामावली तथा ई-चालान की विश्वविद्यालय प्रति को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य है।
 20. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति परीक्षार्थियों के लिए परीक्षावेदनपत्रों के साथ सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत वैध जाति-प्रमाण-पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है।
 21. पूर्वमध्यमा द्वितीय, उत्तरमध्यमा द्वितीय, शास्त्री द्वितीय, शास्त्री तृतीय तथा आचार्य द्वितीय के परीक्षार्थी उसी महाविद्यालय से परीक्षा आवेदनपत्र भर सकेंगे जिस महाविद्यालय से सम्बंधित परीक्षा में पूर्व के खण्ड/खण्डों की परीक्षा में प्रविष्ट थे।
 22. आवेदन पत्र में निर्धारित स्थल पर पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा के विवरण (वर्ष, अनुक्रमांक, प्राप्तांक, पूर्णांक तथा परीक्षा-संस्था का नाम इत्यादि) की प्रविष्टियों के शुद्धता की जांच अवश्य कर लें।
 23. पूर्वमध्यमा द्वितीय तथा उत्तरमध्यमा द्वितीय खण्ड के परीक्षावेदनपत्र में प्रथम खण्ड की परीक्षा के विवरण (वर्ष, अनुक्रमांक, प्राप्तांक, अतिरिक्त विषय अंग्रेजी का प्राप्तांक तथा परीक्षा-संस्था का नाम इत्यादि) की प्रविष्टियों के शुद्धता की जांच अवश्य कर लें।
 24. शास्त्री द्वितीय खण्ड के परीक्षावेदनपत्र में प्रथम खण्ड की परीक्षा के विवरण (वर्ष, अनुक्रमांक, प्राप्तांक, अतिरिक्त विषय अंग्रेजी का प्राप्तांक, पर्यावरण अध्ययन का प्राप्तांक तथा परीक्षा-संस्था का नाम इत्यादि) की प्रविष्टियों के शुद्धता की जांच अवश्य कर लें।
 25. शास्त्री तृतीय खण्ड के परीक्षावेदनपत्र में प्रथम तथा द्वितीय खण्ड की परीक्षा के विवरण (वर्ष, अनुक्रमांक, प्राप्तांक, अतिरिक्त विषय अंग्रेजी का प्राप्तांक, पर्यावरण अध्ययन का प्राप्तांक तथा परीक्षा-संस्था का नाम इत्यादि) की प्रविष्टियों के शुद्धता की जांच अवश्य कर लें।
-

26. आचार्य द्वितीय खण्ड के परीक्षावेदनपत्र में प्रथम खण्ड की परीक्षा के विवरण (वर्ष, अनुक्रमांक, प्राप्तांक तथा परीक्षा-संस्था का नाम इत्यादि) की प्रविष्टियों के शुद्धता की जांच अवश्य कर लें।
27. उत्तरमध्यमा प्रथम खण्ड परीक्षा हेतु यदि परीक्षार्थी की अर्हता-परीक्षा हाईस्कूल है तो सामान्य एवं पिछड़ा संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत-विषय में न्यूनतम 45% अंक होना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत-विषय में न्यूनतम 40% अंक होना अनिवार्य है।
28. शास्त्री प्रथम खण्ड परीक्षा हेतु यदि परीक्षार्थी की अर्हता-परीक्षा इण्टरमीडिएट है तो सामान्य एवं पिछड़ा संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत-विषय में न्यूनतम 45% अंक होना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत-विषय में न्यूनतम 40% अंक होना अनिवार्य है।
29. आचार्य प्रथम खण्ड परीक्षा हेतु यदि परीक्षार्थी की अर्हता-परीक्षा बी0ए0 है तो सामान्य एवं पिछड़ा संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत-विषय में न्यूनतम 45% अंक होना अनिवार्य है तथा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति संवर्ग के अभ्यर्थियों के लिए संस्कृत-विषय में न्यूनतम 40% अंक होना अनिवार्य है।
30. पूर्वमध्यमा परीक्षा के प्रथम एवं अन्तिम खण्ड के मध्य में (अध्ययन वर्षों को छोड़कर) अधिकतम दो वर्षों का अन्तराल मान्य है, इससे अधिक अन्तराल मान्य नहीं है। प्रत्येक दशा में पूर्वमध्यमा पाठ्यक्रम चार (04) वर्षों में पूर्ण करना अनिवार्य है।
31. उत्तरमध्यमा परीक्षा के प्रथम एवं अन्तिम खण्ड के मध्य में (अध्ययन वर्षों को छोड़कर) अधिकतम दो वर्षों का अन्तराल मान्य है, इससे अधिक अन्तराल मान्य नहीं है। प्रत्येक दशा में उत्तरमध्यमा पाठ्यक्रम चार (04) वर्षों में पूर्ण करना अनिवार्य है।
32. शास्त्री परीक्षा के प्रथम एवं अन्तिम खण्ड के मध्य में (अध्ययन वर्षों को छोड़कर) अधिकतम तीन वर्षों का अन्तराल मान्य है, इससे अधिक अन्तराल मान्य नहीं है। प्रत्येक दशा में शास्त्री पाठ्यक्रम छः (06) वर्षों में पूर्ण करना अनिवार्य है।
33. आचार्य परीक्षा के प्रथम एवं अन्तिम खण्ड के मध्य में (अध्ययन वर्षों को छोड़कर) अधिकतम दो वर्षों का अन्तराल मान्य है, इससे अधिक अन्तराल मान्य नहीं है। प्रत्येक दशा में आचार्य पाठ्यक्रम चार (04) वर्षों में पूर्ण करना अनिवार्य है।
34. किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय द्वारा अग्रसारित संस्थागत छात्रों के परीक्षावेदनपत्र उसी परीक्षा के लिये स्वीकार किये जायेंगे जिस परीक्षा एवं विषय की मान्यता विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुसार प्राप्त है।
35. अग्रसारित करने वाले प्रधानाचार्य/अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि आवेदन पत्र पूर्ण रूप से पूरित एवं त्रुटिरहित है तथा आवेदन पत्र में अंकित छात्र/छात्रा नाम, पिता नाम, माता नाम उसके हाईस्कूल अथवा तत्समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र में उल्लिखित नाम से भिन्न न हों, भिन्नता की स्थिति में महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय को निर्धारित संशोधन शुल्क देय होगा। त्रुटिपूर्ण आवेदनपत्र कार्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व अग्रसारण करने वाले अधिकारी का ही होगा।

36. परीक्षा सम्बन्धी कोई भी वाद "उच्चन्यायालय, इलाहाबाद" में ही प्रस्तुत किया जायेगा।
 37. परीक्षावेदनपत्र के अपूर्ण होने, अर्हता संदिग्ध होने एवं आवश्यक सूचना अंकित न होने एवं पूर्वोत्तीर्ण परीक्षा का अंकपत्र संलग्न न होने की स्थिति में परीक्षावेदनपत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा। जिसकी सूचना देना आवश्यक नहीं होगा।
 38. पर्यावरण की परीक्षा शास्त्री प्रथम खण्ड में उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा।
 39. छात्र जिस महाविद्यालय में जिस कक्षा के प्रथम खण्ड में प्रवेश लेगा, उसे उसी महाविद्यालय से उस कक्षा के सम्पूर्ण खण्डों की परीक्षा पूर्ण करना अनिवार्य है। ऐसा न करने पर परीक्षावेदनपत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।
 40. पूर्वमध्यमा प्रथम खण्ड की परीक्षा में वे ही परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकेंगे जिन्होंने परीक्षा वर्ष के जनवरी मास की पहली तारीख को 13 (तेरह) वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
 41. प्रथमा की परीक्षा में वे ही परीक्षार्थी सम्मिलित हो सकेंगे जिन्होंने परीक्षा वर्ष के जनवरी मास की पहली तारीख को 12 (बारह) वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो।
 42. ऐसे संस्थागत छात्र जो गत वर्ष के किसी कक्षा के किसी खण्ड की परीक्षा में अनुपस्थित अथवा अनुत्तीर्ण हो चुके हैं तथा बैक पेपर के अर्ह नहीं हैं, वे संस्थागत परीक्षार्थी नहीं होंगे। इस प्रकार के छात्र अनुपस्थित/अनुत्तीर्ण होने वाले कक्षा/खण्ड में भूतपूर्व छात्र (**Ex Student**) के रूप में ही परीक्षावेदन पत्र भर सकेंगे।
 43. किसी भी प्रकार भी समस्या होने पर हेल्पलाइन 0522-4150500 पर सम्पर्क करें।
-